न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

दिनांक	
29.07.2025	रामस्वरूप बनाम ग्राम पंचायत पहाडी मु0नं0 10/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया है कि दिनांक 20.08.2023 को अपीलांट का पुत्र मुकदमे के सिलसिले मे हल्का पटवारी से बंटवारा बाबत पूछने गया तब पटवारी ने बताया कि बंटवारा तो कर देंगे, तुम्हारे पिताजी के हिस्से 1/9 नाम वाली भूमि खसरा नं 222/0.16 है0, 253/0.75 है0, 263/4879/0.04 है0, 269/0.13 है0, 278/0.10 है0, 282/0.09 है0, 283/0.07 है0 कुल किता 7/1.34 है0 स्थित ग्राम पहाडी का भी बंटवारा करा लो, तब आवेदक के पुत्र ने कहा पटवारी जी यह तो हमारे पिता रामस्वरूप पुत्र नारायण को सन् 1959 मे रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा देवफूल पुत्र राधे ब्राहमण से प्राप्त हुई थी, तब अपीलांट के पुत्रान ने तहसील कार्यालय टोडाभीम व जिला कार्यालय करौली से दरखवास्त लगाकर दिनांक 28.08.2023 को नकल प्राप्त की, इसके बाद अपीलांट का स्वास्थ्य खराब हो गया, नकल प्राप्ति के बाद नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 की समस्त कार्यवाही का पता चला और दिनांक 26.06.1966 से अपील पेश होने के दिन तक के डिले को कंडोन फरमाया जाकर व अपील अंदर म्याद प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अपीलांट द्वारा अपील व प्रार्थनापत्र दफा 5 के समर्थन मे दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 प्रमाणित प्रति नामांतकरण सं 280, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं।

जबाब बहस मे वकील रेस्पोंडेंट द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यों का दोहरान करते हुये बहस मे कथन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र दफा 5 म्याद अधिनियम मे समस्त तथ्य बिल्कुल झूंठे दर्ज किये हैं, वास्तव मे नामांतकरण जेरे अपील तस्दीक होने के कुछ समय बाद से ही न्यायालयों मे विवाद लंबित रहे है, इस प्रकार नामांतकरण जेरे अपील की बखूबी जानकारी अपीलान्ट को रही है, फिर भी अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 से 58 साल बाद पेश की गई है, जो कानूनन म्याद बाहर है, इस प्रकार दिनांक 26.06.1966 से अपील प्रस्तुत होने के दिनांक तक का डिले कंडोन फरमाया जाना आवश्यक व न्याय संगत नहीं है, प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे एवं कथन किया है कि नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 एवं नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 एक ही आराजी संबंधित नामांतकरण है, नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 अपीलान्ट के हक मे दानपत्र तारीखी 17.03.1959 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया, जिस पर दानकर्ता स्वयं द्वारा उज्रदारी पेश करने पर एवं अपीलांट स्वयं द्वारा उक्त दानपत्र को वापिस मानते हुये लिखावट दिनांक 22.06.1960 को रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के हक मे तहरीर तकमील कर देने से एवं मूल दानपत्र की पुश्त पर भी उक्त प्रकार की लिखावट दिनांक 22.06.1960 को तहरीर तकमील कर देने से नामांतकरण सं 24 ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकार फरमा दिया गया, जिसे अपीलान्ट द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालयों मे चाराजोही करने पर भी सफलता नहीं मिली, चूंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट्स उक्त दानकर्ता देवफूल के उत्तराधिकारी है, इसलिये यह नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06. 1966 जेरे अपील रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के हक मे तस्दीक हुआ, जो विरासत का नामांतकरण है, जिसकी बखूबी जानकारी अपीलान्ट को उसी दिन हो चुकी थी, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा एक अपील सं 306/1966 वउनवानी रामस्वरूप वनाम नारायण बगै0 माननीय न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.1967 को खारिज कर नामांतकरण सं 280 जेरे अपील को बहाल रखा, उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा एक अपील सं 424/1967 व उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण बगैरह माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा मे पेश की, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.1968 को बलहीन होने से खारिज फरमा दी गई, इस प्रकार अपीलान्ट को नामातकरण जेरे अपील की जानकारी सन् 1966 से ही बखूबी रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:21 IST
Reason: SelfAttested

आगे कथन किया है कि उक्त सारी कार्यवाही अपीलांट स्वयं के खिलाफ हो जाने के बाद भी अपीलांट द्वारा उक्त सभी तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर को मुगालता देकर एक नामांतकरण संख्या 670 रेस्पोंडेंट्स की बैक पर तस्दीक

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

करवा लिया, जिसका पता चलते ही रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों द्वारा उक्त नामांतरण को अपील माननीय न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन के समक्ष मु0नं0 9/1983 अपील पेश की, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.1983 को नामांतकरण सं 670 निरस्त कर पत्रावली ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर को रिमांड की गई, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.04.1985 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुये उक्त नामांतकरण सं 670 को निरस्त फरमा दिया गया, इसके बाद फिर अपीलान्ट द्वारा नामांतकरण सं 24 जेरे अपील मे दर्ज आराजी व दीगर आराजी के बाबत एक सिविल दावा मु0नं0 28/1986 वउनवानी रामस्वरूप बनाम किरोडी न्यायालय अपर मुंसिफ हिण्डौन सिटी मे पेश किया, जो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.1986 को खारिज फरमा दिया गया, इसके बाद अपीलान्ट द्वारा एक दावा मु0नं0 140/2018 श्रीमान न्यायालय मे वउनवानी रामस्वरूप वनाम मनसुख बाबत तकास्मा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जो रेस्पोडेंटस द्वारा पूर्व से ही प्रस्तुत दावा किरोडी बगै0 वनाम शिवजी बगै0 के साथ कंसोलीडेट कर, माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मुकदमो का दिनांक 05.01.2021 को एक ही निर्णय पारित किया, जो इंतजार बंटवारा स्कीम मे लंबित है, साथ ही कथन किया कि अपीलान्ट नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 जेरे अपील के खिलाफ पूर्व मे भी माननीय न्यायालयों मे अपील पेश करता रहा है जो खारिज की जा चुकी है, अब पुनः न्यायालय श्रीमान को मुगालता देते हुये यह अपील खिलाफ कानून पेश की है, जिस पर रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्वांत लागू होता है, और अपील अपीलान्ट अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 खारिज की जावे।

इस प्रकार उक्त नामांतकरण सं 280 के खिलाफ अपीलांट निरंतर कार्यवाही करता चला आ रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 की अपीलांट को बखूबी जानकारी रही है, फिर भी अपीलांट द्वारा 58 साल बाद यह अपील दिनांक 11.12.2023 को पेश की है, और 58 साल के डिले को कंडोन किया जाना न्याय संगत नहीं है, और ऐसे डिले के बाद पेश हुई अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज किया जावे एवं अपील नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने जबाब प्रार्थनापत्र के समर्थन मे फोटो प्रति दस्तावेजात नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960, लिखावट तारीखी 22.06.1960, दानपत्र तारीखी 17.03.1959 एवं दान पत्र की पुश्त पर दर्ज लिखावट तारीखी 22.06.1960, अपील मीमो मुकदमा नं 236 तारीख 24.08.1961, फैसला तारीखी 16.12.1961 न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर मुकदमा नं 236/61 उनवानी रामस्वरूप बनाम सरकार, हलफनामा तारीखी 11.07.1966 शपथकर्ता रामस्वरूप मुकदमा नं 268/66 फैसला तारीखी 28.02.1967 मुकदमा नं 268/66 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर, नामांतकरण सं 670 तारीखी 24.01.1981 एवं निर्णय दिनांक 19.03.1986 ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर, अपील मीमो कंचनलाल बगै0 बनाम रामस्वरूप बगै0 न्यायालय एसडीओ हिण्डौन तारीखी 07.01.1983, निर्णय उप जिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं 09/83 उनवानी कंचनलाल बगै0 बनाम रामस्वरूप बगै0 तारीख फैसला 26.12.1983, फैसला नामांतकरण सं 670 तारीखी 12.04.1985 ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर, नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966, फैसला न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर मुकदमा नं 306/66 तारीखी 20.02.1967 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण बगै0, निर्णय न्यायालय आर ए ए [illegible] कोटा मुकदमा नं 424/67 तारीख फैसला 31.12.1968 उनवानी राम[illegible] नाम नारायण बगै0, निर्णय प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मुकदमा [illegible] तारीखी 08.08.1986 न्यायालय अपर मुसिफ हिण्डौन उनवानी [illegible] आदेशिका तारीखी 17.12.2018 से 05.01.2021 मुकदमा नं 140/18 न्याया[illegible] उपजिला कलेक्टर टोडाभीम उनवानी रामस्वरूप बनाम मनसुख, वादपत्र रामस्व[illegible] बनाम मनसुख मुकदमा नं 140/18, निर्णय व डिकी तारीखी 05.01.2021 न्याया[illegible] उपजिला कलेक्टर टोडाभीम उनवानी रामस्वरूप बनाम मनसुख, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062, जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040, जमाबंदी हाल खाता सं 26 सम्वत 2076 से 2079 पेश किये हैं।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया और पत्रावली मे उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

नांक

यह अपील सरपंच ग्राम पंचायत पहाडी के आदेश तारीखी 26.06.1966 के खिलाफ पेश की गई है, जिसके अनुसार नामांतकरण सं 280 मोजा पहाडी उत्तराधिकारी के आधार पर रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के हक मे स्वीकार किया गया है।

अपीलांट ने पत्रावली मे पेश प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मे अपील पेश करने मे हुई देरी का कारण उक्त नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966 के बारे मे जानकारी नहीं होना और उक्त नामांतकरण की प्रथम बार जानकारी दिनांक 20.08.2023 को अपने पुत्र को पटवारी हल्का से मिलने पर होना दर्ज की है, जबकि रेस्पोडेंट्स द्वारा पत्रावली मे पेश दस्तावेज न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर मुकदमा नं 306/66 तारीखी 20.02.1967 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण बगै0, निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा मुकदमा नं 424/67 तारीख फैसला 31.12.1968 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण बगै0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त उनवानी अपील न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष स्वयं अपीलांट द्वारा 1966 मे पेश की गई, जिस पर वाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.1967 को यह मानते हुये अपील खारिज की गई है कि नामांतकरण सं 280 मे दर्ज आराजियात का नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 जो अपीलांट के हक मे तस्दीक हुआ, उक्त दोनों ही नामांतकरण एक ही भूमि से संबंधित हैं, और नामांतकरण सं 24 अस्वीकार हो चुका है, इसलिये नामांतकरण सं 280 के बाबत कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। उक्त निर्णय की अपील भी अपीलांट द्वारा न्यायालय आर ए ए साहब कोटा के समक्ष मुकदमा नं 424/67 पेश की गई है, जो दिनांक 31.12.1968 को बलहीन मानते हुये न्यायालय द्वारा खारिज की गई है। इसके अलावा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत दीगर दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त नामांतकरण सं 280 मे दर्ज भूमि के बाबत सिविल एवं रेवेन्यू न्यायालयों मे कार्यवाही करता रहा है, ऐसी स्थिति मे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त नामांतकरण सं 280 की जानकारी प्रथम बार अपीलांट को दिनांक 20.08.2023 को हुई हो, बल्कि अपीलांट को उक्त नामांतकरण सं 280 की जानकारी प्रारंभ से ही रही है, और अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र मे अपील पेश करने मे हुई देरी का कोई उचित एवं संतोषप्रद कारण भी दर्ज नहीं किया है, यहां न्यायालय रेस्पोडेंट्स के इस कथन से सहमत है कि अपीलांट द्वारा यह अपील नामांतकरण सं 280 की बखूबी जानकारी सन् 1966 से होते हुये भी 58 साल बाद पेश की गई है, जिसे कानूनन अंदर म्याद शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसी सूरत मे अपीलांट का यह कथन की अपील तारीख इल्म से अंदर म्याद है, कतई असत्य है, और अपील स्पष्टतया म्याद बाहर पेश की गई है, क्योंकि अपीलांट को सन् 1966 मे ही नामांतकरण सं 280 की जानकारी हो चुकी थी, और अपीलांट ने अपील भी पेश कर दी थी।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है, और अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:54:21 IST
Reason: SelfAttested

उप अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली